न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगगांनगर

पीठासीन अधिकारी :– अभिलाषा आर.ए.एस.

प्रकरण सख्या :– 10/2019 (2019/00132 जीसीएमएस)

1. हाकम सिंह पुत्र स्व. गुरदेव सिंह जाति बावरी निवासी चक 4 डीडी (सी) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. रामप्यारी पत्नी स्व. गुरदेव सिंह जाति बावरी निवासी 4 डीडी (सी) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
   जरिये मुखत्यारआम धन कौर पत्नी पालाराम जाति बावरी निवासी नई मण्डी घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

....प्रार्थीगण

बनाम

1. हेमंत कुमार पुत्र ख्यालीराम जाति जीनगर निवासी नई मण्डी घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. विमला पत्नी ख्यालीराम जाति जीनगर निवासी नई मण्डी घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
3. राजकुमार पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी निवासी चक 1 जीडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
4. जगजीत सिंह पुत्र हरी सिंह जाति जट सिख निवासी निवासी चक 4 डीडी (सी) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व घड़साना।

....अप्रार्थीगण

6. इन्द्रा पुत्री स्व. गुरदेव सिंह जाति बावरी निवासी चक 4 डीडी (सी) घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

....तरतीबी अप्रार्थीया

उपस्थितः– 1. श्री सीताराम टाक वकील प्रार्थीगण।
2. श्री श्रवण बिश्नोई वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2
3. श्री विनोद लिम्बा वकील अप्रार्थी संख्या 3 व 4
4. अप्रार्थी संख्या 5 स्टेट की ओर से राजपैरोकार।
5. श्री भूपराम, वकील अप्रार्थी संख्या 6

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 13.07.2022

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के परदादा स्व. वीरू उर्फ बारू पुत्र वसाखाराम जाति बावरी निवासी कोनी तहसील व जिला

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

श्रीगंगानगर जो कि हिन्द पाक विभाजन पर पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी के नाते भारत सरकार के पुनर्वास विभाग से चक 4 पी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर के खाता सं. 52 मु.नं. 34 के किला नं. 1 ता 25 की 24 बीघा 10 बिस्वा भूमि नहरी अलाट की गई, परिवार के सदस्यों का नाम पहचान के लिए दर्ज किया गया जबकि भारत सरकार के पुनर्वास विभाग से प्रार्थी सं. 1 के परदादा वीरू उर्फ बारू ने ही निर्धारित प्रारूप अपेन्डिगरा-3 में इकरारनामा किया, उसी की फोटो ही चस्पा की गई तथा वीरू उर्फ बारू ने ही रकबा की किश्तें अदा की। उसके परिवार में उसकी पत्नी भागो व दो पुत्र गुरबचन व गुरदयाल शामिल होने से उनका नाम दर्ज किया गया जबकि वास्तव में अलाटी वीरू उर्फ बारू ही था तथा उस अकेले का नाम ही जमाबन्दी में दर्ज हुआ जैसा कि इन्तकाल संख्या 65 दिनांक 03.07.84 के खाना नं. 5 में दर्ज है, इन्तकाल की नकल शामिल है इस प्रकार प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 6 का अपने परदादा की अलाटशुदा भूमि में जन्म से ही हक हिस्सा बनता है। प्रार्थी संख्या 1 के परदादा वीरू उर्फ बारू व दादी भागो का देहान्त हो गया। इस प्रकार उपरोक्त आराजी अलाटी वीरू उर्फ बारू के पुत्रों गुरदयाल सिंह व गुरबचन सिंह दोनों का बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई। गुरबचन सिंह अपने भाई गुरदयाल सिंह से अलग होने के कारण अपनी भूमि काश्त करता रहा तथा प्रार्थी संख्या 1 के दादा गुरदयाल सिंह अपने पुत्रों गुरदेव सिंह, करतार सिंह व अपनी पुत्रीयों के साथ संयुक्त हिन्दू परिवार कायम करते हुए भूमि काश्त करता रहा, इसी भूमि की आय से गुरदयाल सिंह की पुत्रियों लिछमी, कृष्णा, धनकौर के विवाह किये गये तथा उन्होंने पारिवारिक समझौता द्वारा अपना हिस्सा अपने पिता व भाईयों को दे दिया था। चक 4 पी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर में भूमि कम होने व परिवार बड़ा होने के कारण प्रार्थी संख्या 1 के दादा गुरदयाल सिंह ने इस भूमि का तबादला श्रीराम पुत्र प्रताप राम जाति बावरी निवासी कोनी से कर लिया तथा 4 पी बड़ी तहसील श्रीगंगानगर की भूमि देकर तबादला में चक 4 डी डी सी तहसील घड़साना के मु.नं. 15 की 25 बीघा भूमि प्राप्त की गई, जमाबन्दी की नकल शामिल है। इस प्रकार चक 4 डी डी सी तहसील घडसाना की 25 बीघा भूमि गुरदयाल सिंह व उसके पुत्रों गुरदेव सिंह, करतार सिंह के संयुक्त हिन्दु खानदान की जद्दी व अविभाजित सम्पति के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही। उपरोक्त भूमि में से 10 बीघा पारिवारिक समझौता द्वारा करतार सिंह को प्राप्त हुई तथा वह अलग रहने लग गया व 15 बीघा भूमि प्रार्थी संख्या 1 के पिता गुरदेव सिंह को पारिवारिक समझौता में प्राप्त हुई जो कि गुरदेव सिंह व प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी 6 के संयुक्त हिन्दु खानदान की जद्दी व अविभाजित सम्पति के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही, उपरोक्त भूमि में से 10 बीघा पारिवारिक समझौता द्वारा करतार सिंह को प्राप्त हुई तथा वह अलग रहने लग गया व 15 बीघा भूमि प्रार्थी संख्या 1 के पिता गुरदेव सिंह व प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 6 के संयुक्त हिन्दु खानदान की अविभाजित सम्पति के रूप में परिवार का कर्ता व मुखिया गुरदेव सिंह के होने के कारण उसके नाम से दर्ज चली आयी जबकि इसमें प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 6 भी बहिस्सा बराबर के हकदार जन्म से ही रहे, चौथी पीढ़ी होने के कारण भी प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थीया संख्या 6 का जन्म से हक हिस्सा बना। उपरोक्त 15 बीघा चक 4 डी डी सी के प.नं. 145/34 के मु.नं. 15 के किला नं. 3 ता 8, 13 ता 25 कुल 3.795 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 6 के पिता स्व. गुरुदेव सिंह के नाम संयुक्त हिंदु परिवार कर्ता व मैनेजर होने

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

के कारण दर्ज हुई जबकि इस 15 बीघा में प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 6 स्वर्गीय गुरुदेव सिंह के साथ बराबर के हकदार रहे तथा उनके बीच कभी भूमि का विभाजन नहीं हुआ, अत: स्व. गुरदेव सिंह का उपरोक्त 15 बीघा में केवल मात्र 1/3 हिस्सा था, कब्जा काश्त भी मुश्तरका चला आया। प्रार्थी संख्या 1 के पिता व प्रार्थी संख्या 2 के पति व अप्रार्थी संख्या 6 के पिता गुरुदेव सिंह ना केवल बुरी आदतों का शिकार हो गया बल्कि गलत संगत में पड़ गया तथा वह भूमि हिस्सा ठेका पर देकर काश्त करवाने लग गया। गुरुदेव सिंह का देहांत दिनांक 11.07.2015 को हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र की नकल शामिल है, गुरुदेव सिंह का देहांत होने के उपरांत प्रार्थीयान ने उपरोक्त भूमि अपने नाम विरासतन दर्ज करवाने के लिए पटवारी हल्का से संपर्क किया तो पता चला कि उपरोक्त भूमि तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है इस पर छानबीन की तो पता चला कि अप्रार्थी संख्या 4 ने जिसका उपरोक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है, के द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 से साजिश कर कथित बैयनामा दिनांक 18.02.2009 अप्रार्थी संख्या 3 के हक में करवाया, जो कि शुरू से शून्य है। अप्रार्थी संख्या 4 ने क्योंकि वह स्वर्ण जाति का व्यक्ति है, इसलिए अप्रार्थी संख्या 3 के नाम नुमाइशी बैयनामा करवाया गया तथा अप्रार्थी संख्या 4 ने, अप्रार्थी संख्या 3 के साथ साजिश होने के कारण प्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में बैयनामाजात भूमि हड़पने की नियत से नुमाइशी करवाए गए है, जैसा कि अप्रार्थी संख्या 3 से जो बैयनामाजात अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में करवाए गए उनमें गवाह के रूप में भी अप्रार्थी संख्या 4 का नाम दर्ज है। इस प्रकार वास्तव में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का ना तो किसी भूमि पर कब्जा काश्त रहा है बल्कि अप्रार्थी संख्या 4 का ही चला आ रहा है। कथित बैयनामा दिनांक 18.02.2009 जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रार्थी संख्या 1 के पिता गुरदेव सिंह से उसकी बुरी आदतों का शिकार होने, भूमि हिस्सा ठेका पर देकर काश्त करवाने व भूमि हड़पने की नियत से अप्रार्थी संख्या 4 ने अप्रार्थी संख्या 3 के साथ साजिश कर उसके नाम से नुमाइशी तौर पर करवाया गया व बिला बदल है क्योंकि वास्तव में गुरुदेव सिंह को भूमि विक्रय करने का कोई कानूनन हक व अधिकार नहीं था क्योंकि भूमि 15 बीघा जद्दी जायदाद होने से प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थीया संख्या 6 का जन्म से हक हिस्सा बनता था तथा भूमि विक्रय की संयुक्त हिंदू परिवार को कभी कोई जायज जरूरत नहीं रही। भूमि अत्यधिक कीमती है जबकि बैयनामा 15 बीघा का केवल एक लाख रूपया में ही करवाने का दर्ज किया हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि वास्तव में बैयनामा गुरदेव सिंह से धोखे से करवाया गया है। अप्रार्थी संख्या 4 ने अप्रार्थी संख्या 3 के साथ साजिश रचकर भूमि हड़पने की नियत से कथित बैयनामा करवाया है, जो कि बिला बदल होने व कब्जा के अभाव में शुरू से शून्य होने के कारण प्रार्थीयान व अप्रार्थी संख्या 6 के अधिकारों पर बेअसर है क्योंकि उनके द्वारा अपने हिस्सा की भूमि विक्रय करने के लिए स्व. गुरुदेव सिंह को ना तो कभी कोई अधिकार दिया ना ही गुरदेव सिंह समस्त 15 बीघा भूमि का हकदार था। जद्दी जायदाद होने से प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 6 का दिनांक 18.02.2009 से पूर्व तथा 18.02.2009 को तथा इसके उपरांत भी सदैव हक हिस्सा बना रहा है। कथित बैयनामा दिनांक 18.02.2009 शुरू से शून्य होने से अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के द्वारा साजिश रचकर भूमि हड़पने की नियत से है प्रार्थी संख्या 3 से कथित बैयनामाजात 8 बीघा का दिनांक 10.01.13 बहक अप्रार्थी संख्या 1 व 7 बीघा भूमि का बहक अप्रार्थी संख्या 2 भी

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

शुरू से बिला अधिकार, खिलाफ कानून, साजिशी नुमाइशी होने से प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 6 के अधिकारों पर शुरू से बेअसर है तथा उपरोक्त भूमि के संबंध में किए गए समस्त इंतकाल जो एकतरफा तौर पर किए गए, जिनकी जानकारी अब प्राप्त हुई है, भी शुरू से शून्य होने व जमाबंदी के इन्द्राज भी शुरू से शून्य होने से प्रार्थीयान के अधिकारों पर बेअसर है। कथित बैयनामा दिनांक 18.02.2009 जो जाहिरा तौर से बिला अधिकार, खिलाफ कानून, बिला बदल, नुमाइशी साजिशी व धोखे से करवाया जाने के कारण शून्य है तो इसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 3 को जब कोई खातेदारी अधिकार हासिल नहीं हुए, ना ही कब्जा रहा, ना ही कभी भूमि काश्त की तो अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में करवाए गए बैनामाजात भी शुरू से शून्य होने से प्रार्थीयान व अप्रार्थी संख्या 6 के अधिकारों पर बेअसर है अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को भी ना तो कोई अधिकार प्राप्त हुए, कब्जा के अभाव में भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में किए गए कथित बैयनामाजात व इंतकाल व इन्द्राज जमाबंदी भी शुरू से शून्य होने से प्रार्थीयान व अप्रार्थी संख्या 6 के अधिकारों पर बेअसर है। वास्तव में गुरदेव सिंह के गलत आदतों का शिकार होने व गलत संगत में पडने के कारण अप्रार्थी संख्या 4 जो उसकी भूमि हडपना चाहता था, के द्वारा साजिश करके नुमाइशी बैयनामाजात अनुसूचित जाति के व्यक्ति के हक में करवाये गये है जबकि कब्जा मौके पर अप्रार्थी संख्या 4 का ही है, अतः स्वर्ण जाति का व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति के व्यकित की भूमि पर काबिज रहने का हकदार ना होने के कारण भी प्रार्थीयान उपरोक्त 15 बीघा भूमि का कब्जा पाने का अधिकारी है तथा राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का नाम हटवाकर अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रार्थीयान ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 से बार–बार आग्रह किया कि वह चक 4 डी डी सी तहसील घड़साना के खाता संख्या 69/15, मु.नं. 15 प.नं. 145/34 के किला नं. 4 ता 6, 15 ता 17, 24, 25 की कुल 2.024 हैक्टेयर जो अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज है व खाता संख्या 48/15 मु.नं. 15, प.नं. 145/34 किला नं. 3,7,8,13,14,18,23 की 1.771 हैक्टेयर जो अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है, वाद–पत्र में अंकित उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कथित बैयनामाजात बिला अधिकार, खिलाफ कानून, बिला बदल धोखे से करवाये गये होने से जो शुरू से शून्य है, प्रार्थीयान व अप्रार्थीया संख्या 6 के अधिकारों पर बेअसर मानते हुए व इनके आधार पर हुए इंतकाल व इन्द्राज जमाबंदी भी शुरू से शून्य होने से प्रार्थीयान के अधिकारों पर बेअसर मानते हुए प्रार्थीयान को सौंप देवें व राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीयान के नाम दर्ज करवाये, मगर वह लालचवश है तथा अप्रार्थी संख्या 4 ने जिसका भौतिक कब्जा चला आ रहा है ने स्पष्ट कहा है कि वह भूमि को नष्ट वेस्ट व डेमेज कर देगा अथवा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जिनके हक में नुमाइशी बैयनामा करवाये गये से आगे मुंतकिल करवा देगा, यदि अप्रार्थीयान संख्या 1 ता 4 अपने इस गलत मकसद में सफल हुए तो दावा का मकसद समाप्त होगा, भूमि के नष्ट वेस्ट डेमेज होने अथवा मुंतकिल होने से प्रार्थीयान को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा मुकदमाबाजी बढेगी, अतः प्रार्थीयान के हितों को देखते हुए व भूमि नष्ट ना हो रिसीवर किया जाना अथवा रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखवायी जानी आवश्यक है। लिहाजा प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र करके अर्ज है कि ता फैंसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थी संख्या 1 व 4 इस अमर की सादिर की जावे कि चक 4 डीडी–सी तहसील घडसाना के खाता संख्या 69/15, मु.नं. 15, प.नं. 145/34 के किला नं. 4 ता 6, 15 ता 17,

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

24, 25 की कुल 2.024 हैक्टेयर जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है व खाता संख्या 48/15, मु.नं. 15, प.नं. 145/34 के किला नं. 3,7,8,13,14,18,23 की 1.771 हैक्टेयर पर ता फैसला दावा रिसीवर करने अन्यथा रहन बेय से मुंतकिल करने से रोके जाने तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति रखने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज तथ्य वाद पेश किया जाना स्वीकार है शेष कथन पूर्णतया अस्वीकार है क्योंकि प्राईमा फैसाई केस, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में कतई साबित नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 व 3 लाईल्मी है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित कथन संयुक्त हिन्दु खानदान की सम्पति होना अस्वीकार है। शेष कथन भी लाईल्मी होने के कारण अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सदभावी क्रेता है जिन्होंने उक्त भूमि पूर्ण प्रतिफल अदा कर यह भूमि क्रय की है एवं वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 कतई स्वीकार नहीं, अस्वीकार है। उपरोक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जरिये पंजीबद्ध बैयनामा पूर्ण प्रतिफल अदा करके खरीद की हुई है एवं वर्तमान में शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में है एवं तमाम मालिकाना हक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 में निहित है। प्रार्थी द्वारा गुरदेव सिंह को बूरी आदतों का शिकार बताकर वाद पत्र की नोईयत को रंग देने के लिये काल्पनिक कहानी तैयार की है जो कतई गलत एवं अस्वीकार है। प्रार्थी माननीय न्यायालय से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 कतई स्वीकार नहीं है। बैयनामाजात दिनांक 18.02.2009 पूर्ण विधिक रूप से पंजीबद्ध हुआ है। प्रार्थी द्वारा मनगढ़त एवं काल्पनिक तथ्य ब्यान किये है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 कतई स्वीकार नहीं, अस्वीकार है। बैयनामा दिनांक 18.02.2009 व 10.01.2013 पूर्ण विधिक एवं कानूनी है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा पूर्ण प्रतिफल अदा कर उक्त भूमि क्रय की थी एवं रोबरू गवाहान रोबरू उप पंजीयक उक्त भूमि के पूर्ण कानूनी प्रक्रिया के अन्तर्गत बैयनामा पंजीबद्ध करवाये थे एवं वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं तमाम मालिकाना हक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 में निहित है एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 खातेदार काश्तकार है। भूमि पूर्व में अनकमांड थी। हम अप्रार्थीगण द्वारा उसे कमांड करवाकर अन्तरराशि भी जमा करवाई गई है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 में दर्ज तथ्य अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा पूर्ण प्रतिफल अदा कर उक्त भूमि क्रय की थी एवं रोबरू गवाहान रोबरू उप पंजीयक उक्त भूमि के पूर्ण कानूनी प्रक्रिया के अन्तर्गत बैयनामा पंजीबद्ध करवाये थे एवं वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है एवं तमाम मालिकाना हक अप्रार्थी 1 व 2 निहित है एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 खातेदार काश्तकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 में दर्ज तथ्य काल्पनिक होने के कारण कतई स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने उक्त कथन वाद पत्र/प्रार्थना पत्र की नोईयत को रंग देने के उद्देश्य से किया है। प्रार्थीगण का मन लालचवश चलायमान हो गया है एवं झुठे तथ्यों के आधार पर वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थीगण ने वाद कारण उत्पन्न करने के

उपखण्ड अधिकारी
चड़साना

लिये काल्पनिक कहानी तैयार की है। प्रार्थीगण रजिस्टर्ड बैयनामा के विरूद्ध किसी खातेदार कृषक के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती होने के कारण प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 3 ने जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज तथ्य वाद पेश किया जाना स्वीकार है शेष कथन पूर्णतया अस्वीकार है क्योंकि प्राईमा फैसाई केस, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में कतई साबित नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 व 3 लाईल्मी है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित कथन संयुक्त हिन्दु खानदान की सम्पति होना अस्वीकार है। शेष कथन भी लाईल्मी होने के कारण अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सदभावी क्रेता है जिन्होंने उक्त भूमि पूर्ण प्रतिफल अदा कर यह भूमि क्रय की है एवं वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 कतई स्वीकार नहीं, अस्वीकार है। उपरोक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जरिये पंजीबद्ध बैयनामा पूर्ण प्रतिफल अदा करके खरीद की हुई है एवं वर्तमान में शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में है एवं तमाम मालिकाना हक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 में निहित है। प्रार्थी द्वारा गुरदेव सिंह को बूरी आदतों का शिकार बताकर वाद पत्र की नोईयत को रंग देने के लिये काल्पनिक कहानी तैयार की है जो कतई गलत एवं अस्वीकार है। प्रार्थी माननीय न्यायालय से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 कतई स्वीकार नहीं है। बैयनामाजात दिनांक 18.02.2009 पूर्ण विधिक रूप से पंजीबद्ध हुआ है। प्रार्थी द्वारा मनगढ़त एवं काल्पनिक तथ्य ब्यान किये है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 कतई स्वीकार नहीं, अस्वीकार है। बैयनामा दिनांक 18.02.2009 व 10.01.2013 पूर्ण विधिक एवं कानूनी है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा पूर्ण प्रतिफल अदा कर उक्त भूमि क्रय की थी एवं रोबरू गवाहान रोबरू उप पंजीयक उक्त भूमि के पूर्ण कानूनी प्रक्रिया के अन्तर्गत बैयनामा पंजीबद्ध करवाये थे एवं वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं तमाम मालिकाना हक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 में निहित है एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 खातेदार काश्तकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 में दर्ज तथ्य अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा पूर्ण प्रतिफल अदा कर उक्त भूमि क्रय की थी एवं रोबरू गवाहान रोबरू उप पंजीयक उक्त भूमि के पूर्ण कानूनी प्रक्रिया के अन्तर्गत बैयनामा पंजीबद्ध करवाये थे एवं वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है एवं तमाम मालिकाना हक अप्रार्थी 1 व 2 निहित है एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 खातेदार काश्तकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 में दर्ज तथ्य काल्पनिक होने के कारण कतई स्वीकार नहीं है। प्रार्थी ने उक्त कथन वाद पत्र/प्रार्थना पत्र की नोईयत को रंग देने के उद्देश्य से किया है। प्रार्थीगण का मन लालचवश चलायमान हो गया है एवं झुठे तथ्यों के आधार पर वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थीगण ने वाद कारण उत्पन्न करने के लिये काल्पनिक कहानी तैयार की है। प्रार्थीगण रजिस्टर्ड बैयनामा के विरूद्ध किसी खातेदार कृषक के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

का प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती होने के कारण प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 4 ने जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज तथ्य वाद पेश किया जाना स्वीकार है शेष कथन पूर्णतया अस्वीकार है क्योंकि प्राईमा फैसाई केस, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में कतई साबित नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 व 3 लाईल्मी है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 लाईल्मी होने कारण अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 कतई स्वीकार नहीं, अस्वीकार है। उपरोक्त भूमि से अप्रार्थी संख्या 4 को कोई सरोकार नहीं है। मात्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ जानकारी होने कारण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने बैयनामा में गवाह रखा है एवं उक्त बैयनामा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने पूर्ण प्रतिफल अदा कर पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर रोबरू गवाहान पंजीबद्ध करवाये थे। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 कतई स्वीकार नहीं है। बैयनामाजात दिनांक 18.02.2009 पूर्ण विधिक रूप से पंजीबद्ध हुआ है। प्रार्थी द्वारा मनगढंत एवं काल्पनिक तथ्य बयान किये हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 कतई स्वीकार नहीं है। बैयनामा दिनांक 18.02.2009 व 10.01.2013 पूर्ण विधिक एवं कानूनी है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा पूर्ण प्रतिफल अदा कर उक्त भूमि क्रय की थी एवं रोबरू गवाहान रोबरू उप-पंजीयक उक्त भूमि के पूर्ण कानूनी प्रक्रिया के अन्तर्गत बैयनामा पंजीबद्ध करवाये थे एवं वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं तमाम मालिकाना हक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 में निहित है एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने उक्त कथन वाद पत्र/प्रार्थना पत्र की नोईयत को रंग देने के उद्देश्य से किया है। वादीगण का मन लालचवश चलायमान हो गया है एवं झुठे तथ्यों के आधार पर वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वादीगण ने वाद कारण उत्पन्न करने के लिये काल्पनिक कहानी तैयार की है। वादीगण रजिस्टर्ड बैयनामा के विरूद्ध किसी खातेदार कृषक के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती होने के कारण प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे सहित खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 5 स्टेट की ओर से राज पैरोकार द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि चक 4 डीडी–सी प.नं. 145/34 के किला नं. 3, 7, 8, 13 ता 14, 18, 23 की 1.771 हैक्टेयर क0/अ0क0 रकबा विमला पत्नि ख्यालीराम जाति जीनगर साकिन नई मण्डी घड़साना खातेदार दर्ज एवं चक 4 डीडी–सी का प.नं. 145/34 का किला नं. 4, 5, 6, 15, 16, 17, 24, 25 की 2.024 हैक्टेयर क0/अ0क0 रकबा हेमंत कुमार पुत्र ख्यालीराम जाति जीनगर साकिन नई मण्ड घड़साना खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा नई मण्डी घड़साना मूर्तहीन रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त भूमि ई0न0 202 दिनांक 31.01.2013 जरिये बेचान राजकुमार पुत्र कालूराम जाति नायक सा0 1 जीडी खातेदार से विमला पत्नि ख्यालीराम जाति जीनगर साकिन नई मण्डी घड़साना खातेदार दर्ज हुआ।

अप्रार्थी संख्या 6 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष मुताबिक प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के दादा द्वारा पैतृक सम्पति का बेचान करके उसी के बदले में खरीदशुदा होने के कारण उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है एवं प्रार्थीगण के पिता गुरदेव सिंह को उक्त 15 बीघा भूमि के बेचान का अधिकार नहीं था। इसलिए ता फैसला दावा उक्त भूमि को रहन बैय से मुतकिल करने से रोके जाने तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति रखने को आदेश फरमाया जावे। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उक्त वर्णित भूमि अप्रार्थीगण के नाम कैसे दर्ज हुई, गुरदेव सिंह ने बेची अथवा वीरू राम ने, इसका कोई भी दस्तावेज प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है। उक्त भूमि गुरदेव सिंह की स्वअर्जित भूमि है। अप्रार्थी संख्या 3 ने जरिये पंजीकृत बैयनामा खरीद की है एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अप्रार्थी संख्या 3 से जरिये पंजीकृत बैयनामा खरीद की है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का ही कब्जा है एवं उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने पूर्ण प्रतिफल देकर खरीद की है। उक्त भूमि के संबंध में 2 बैयनामा stand है। इसलिए प्लीडिंग voidable होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रकरण के प्रथम दृष्टतया, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं पर विचार किया जाना होता है। प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त तीनों बिन्दुओं पर स्थिति निम्न प्रकार से पाई जाती है–

1. **प्रथम दृष्टतया** :– प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा अप्रार्थी संख्या 3 से खरीद की हुई है एवं मौका पर कब्जा भी अप्रार्थीगण का है। प्रथम दृष्टतया यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के पिता/पति गुरदेव सिंह ने 15 बीघा भूमि बेचान कर दी एवं उसके बाद भी इस भूमि के 2 पंजीकृत बैयनामा हो चुके हैं तथा पंजीकृत बैयनामा को शून्य घोषित करने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टतया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होने पर इस बिन्दु को प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।
2. **सुविधा का संतुलन** :– प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है एवं मौके पर भी अप्रार्थीगण ही काबिज हैं एवं प्रथम दृष्टतया भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। ऐसी स्थिति मे सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में माना जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता। अतः इस बिन्दू को भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।
3. **अपूर्णीय क्षति** :– अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए तीसरे बिन्दू अपूर्णीय क्षति के सम्बन्ध में प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उक्त विवादित भूमि पर पूर्व में प्राप्त बैंक ऋण की अदायगी एवं पुनः प्राप्ति के संबंध में अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जा में भी नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को किसी भी स्थिति में अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है। अस्थाई निषेधाज्ञा के मुख्य दोनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष

उपखण्ड अधिकारी
घटसाना

में नही होने पर अपूर्णीय क्षति के बिन्दू को भी प्रार्थी के पक्ष माना जाना उचित नहीं लगता है। अतः इस बिन्दू को भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

उपरोक्तानुसार विवेचना करने पर पाया जाता है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु ही प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णीत हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 13.07.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिलाषा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना